

जिला न्यायाधीश
कृष्ण कुमौर (राज.) राज. सरकार


इजराय सं. 07/2001

दिनांक 12.09.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून की ओर से लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक उपस्थित। मद्यून की ओर से अधिवक्ता का निवेदन है कि पत्रावली राज्य सरकार में सचिवालय स्तर पर विचाराधीन है राशि निकलते ही शीघ्र ही राशि पक्षकार को जमा करा दी जायेगी। अतः उन्हें न्यायहित में समय प्रदान किया जावे।

उभय पक्षों को सुना गया। मेरे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण लक्षित प्रकरणों में से एक है और यह इजराय प्रकरण भी है, मद्यून के अधिवक्ता के निवेदन को देखते हुए न्यायहित में उन्हें समय प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जमा होने राशि दिनांक 15.09.25 को पेश हो।


12/09/2025
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कौलपुर (राज.)